न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–37/1989

CIS No.- 378/2019

वज्र भूषण पर्वत एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

चतुर्धन गिरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.08.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 27.06.2025 को दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 19.08.2025 को आदेश हेतु नियत है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि इस वाद में पारित आदेश दिनांक 27.06.2024 वापस लेकर वादीगण का आवेदन दिनांक 30.03.2005 स्वीकृत करने की कृपा की जाएँ। वादीगण को आदेश दिनांक 27.06.2024 में प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 के नाम से सम्मन कराने हेतु सामग्री दाखिल करने का निर्देश है, यह आदेश दिनांक 27.06.2024 अभिलेख पर पहले से उपलब्ध आदेश दिनांक 01.09.2025 को बिना देखे अनजाने में पारित हो गया है। अभिलेख पर पहले से उपलब्ध आदेश दिनांक 01.09.2025 में प्रतिवादी सं0–01 के जीवित उत्तराधिकारीगण वादीगण के रूप में मौजूद है, जिस कारण प्रतिवादी सं0–01 के स्थान पर किसी को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। आदेश दिनांक 27.06.2024 में प्रतिवादी सं0–02 के नाम से सम्मन कराने हेतु सामग्री दाखिल करने का समय तब आयेगा जब वादीगण का प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 30.03.2005 न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो जाएगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि इस वाद में पारित आदेश दिनांक 27.06.2024 वापस लेते हुए प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 30.03.2005 को स्वीकृत करने की कृपा की जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन दिनांक 27.06.2025 का कोई प्रत्युतर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–37/1989</u>

CIS No.- 378/2019

वज्र भूषण पर्वत एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

चतुर्धन गिरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.08.2025	होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 27.06.2025 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया है कि इस वाद में पारित आदेश दिनांक 27.06.2024 वापस लेते हुए वादीगण के प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 30.03.2005 को स्वीकृत करने की अनुमति दी जाए। वादी का आवेदन सामान्य प्रकृति का प्रतीत होता है और इससे वाद के स्वरूप पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में न्यायालय आदेश दिनांक 27.6.2024 को वापस लेते हुए वादीगण के प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 30.03.2005 को स्वीकृत किया जाता है एवं वादी का आवेदन दिनांक 27.06.2025 को निष्तारित किया जाता है। वाद दिनांक 09.09.2025 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	